सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

22 अगस्त, 2017

षोडश विधान सभा — मंगलवार, तिथि 22 अगस्त, 2017 ई0

सप्तम सत्र — 31 श्रावण, 1939(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय -11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्प सूचित प्रश्न ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, सृजन घोटाला..

श्री सत्यदेव राम : महोदय, बाढ़ आ गयी है, 360 लोग मारे जा चुके हैं । ऐसी परिस्थिति में ...

अध्यक्ष : सत्येदव जी, अगर सब आदमी एक साथ बोलियेगा तो हम किसकी बात सुनेंगे ? आप बैठिये । इनका पहले सुन लीजिये कि क्या कह रहे हैं । उनकी तख्ती पहले हटाईये । महबूब आलम जी, यह सदन आप सबका है । इसकी मर्यादा का हमेशा ख्याल रखा करिये । सदन की मर्यादा जायेगी तो आपकी मर्यादा बचेगी ? कभी प्ले-कार्ड लेकर चले आते हैं, कभी कुछ लेकर चले आते हैं । अपनी बात कहने का यह कोई तरीका नहीं है । गंभीर से गंभीर बात कहने का भी तरीका तय है अपनी नियमावली में । सिद्दिकी जी, आप बोलिये और आपलोग सुनिये कि ये क्या कह रहे हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, सृजन घोटाला जो एक काला धब्बा बिहार पर लगा है जिसके चलते बिहारियों की ...

(व्यवधान)

मैं बोल रहा हूँ तो आप क्यों काट रहे हैं ?

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : एक नंबर बोलें, दो नंबर बोलें लेकिन तीन नंबर कैसे आ गए ? आप तीन नंबर पर कैसे चले गए ? एक नंबर बोलें ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: आप कितने नंबर पर चले गए, यह नहीं समझ रहे हैं । महोदय, यह जो सृजन घोटाला है आज पूरे देश और दुनिया में इसकी चर्चा है और कार्य स्थगन -

अध्यक्ष : सिद्दिकी साहब, एक चीज..

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, हम बीच में बोल रहे हैं । आप कहियेगा कि नियम के तहत आप 12 बजे लाईयेगा । मगर इस सदन में भी परम्परा रही है कि जब ऐसे भयंकर मामले जिससे देश और राज्य प्रभावित होता है, उस मामले को उठाया जाता रहा है तो उसे स्वीकृत भी इसी सदन में किया गया है । महोदय, मेरा चार्ज है कि इसमें सरकार की कहीं न कहीं संलिप्तता है । इस वजह से संलिप्तता है कि जब उस

मनोरमा देवी के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री केन्द्रीय राज्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे महिमामंडित करते रहे हैं और अब व्यापम घोटाले की तरह गवाहों को मारा जा रहा है, महेश मंडल..

(व्यवधान)

महोदय, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि क्वेश्चन आवर को स्थगित करके, इसके महत्व को समझते हुए इसे स्वीकृत किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अभी सिद्दिकी साहब ने भागलपुर में जो स्कैम उजागर हुआ है, उसपर उन्होंने जो कार्य स्थगन सूचना दी है, उसके संबंध में बताया है । आसन भी इस विषय को अति महत्वपूर्ण मानता है और इसी आशय से जो आज का क्रम पत्र है, और्डर पेपर है उसमें आप देखेंगे कि पहली ध्यानाकर्षण-सूचना जिसमें सरकार बाजाप्ता आपके पूरक प्रश्नों के भी उत्तर देती है, उसके रुप में हमने उसकी स्वीकृति दी है और हम सदन से यही दरख्वास्त करना चाह रहे हैं कि अगर आप सही मायने में इसके महत्व को देखते हुए इसपर व्यापक विमर्श चाहते हैं तो ध्यानाकर्षण को आने दीजिये । कार्य स्थगन के बाद भी तो विमर्श ही होता है । विमर्श करने के लिए अगर अलग से महत्वपूर्ण सूचना सिद्दिकी साहब देंगे, आप उसको ला सकते हैं, तो आसन जरुर विचार करेगा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, ध्यानाकर्षण भी इससे संबंधित है ।

अध्यक्ष : वह तो हम बोल चुके हैं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : शौर्ट नोटिस में तो सप्लीमेंट्री कर सकते हैं और ध्यानाकर्षण में तो विस्तृत बात कर सकते हैं ।

अध्यक्ष : हमारी बात पूरी हो जाने दीजिये । जब हमारे पास दूसरे प्रावधान, दूसरे तरीके मौजूद हैं, जिसमें हम बिना माननीय सदस्यों के प्रश्नों को या उनके हित के प्रश्नों को बाधित किए इसपर जितनी देर चाहें विमर्श कर सकते हैं, अगर यह विकल्प हमारे पास उपलब्ध है तो फिर इसको सीमित दायरे में, सीमित विमर्श में बांधने की क्या आवश्यकता है ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, आपने ठीक कहा कि इसमें ध्यानाकर्षण और क्वेश्चन में भी है। महोदय, आप सदन के एक तरह से अभिभावक हैं । सदन में सबका बंटा हुआ महत्व है । कार्यस्थगन का महत्व अलग है । अल्पसूचित प्रश्न का महत्व अलग है । ध्यनाकर्षण का महत्व अलग है, सब के लिए समय निर्धारित है और कार्य स्थगन स्वीकृत होने का मतलब हुआ कि इससे बड़ा अर्जेन्सी न तो अल्प सूचित प्रश्न है, न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और उसमें आप समय निर्धारित किए हुए हैं । आधा घंटा, दस मिनट, पन्द्रह मिनट और तीन क्वेश्चन और आपने देखा है महोदय, जब आपने अनुमति नहीं दी माननीय मंत्री जी को तो वे टपक कर खड़े हो गए । महोदय, जब

अध्यक्ष की अनुमति रहेगी तो हम खड़े होंगे, आप कहेंगे नहीं तो नहीं खड़े होंगे । महोदय, मैं आपसे बहुत विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि आप इसके महत्व को समझ रहे हैं और बिहार अगर इससे कलंकित हो रहा है और इसमें बड़े रसूखदार अगर सम्मिलित हैं और व्यापम घोटाले की तरह शुरुआत हो गयी है । महेश मंडल के परिवार के लोगों ने जो आरोप लगाया है हत्या का, इसलिए इसपर कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत करके विचार करना आवश्यक है ।

अध्यक्ष : माननीय सिद्दिकी साहब, आपने विषय की जिस गंभीरता की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया है, मैंने कहा है कि आसन उस विषय की गंभीरता से पूरा इत्तफाक रखता है । बात केवल एक है कि इसपर आप और ज्यादा व्यापक विमर्श करके सरकार को पूरक प्रश्नों के माध्यम से बांधना चाहते हैं या फिर माननीय सदस्यों के जो प्रश्न हैं, जो प्रश्नकाल है, उसे बाधित करना चाहते हैं । प्रश्नकाल बाधित करने में आसन की समझ से कोई अधिक फायदा नहीं है । यह आपने सही कहा कि हर अल्पसूचित प्रश्न, तारांकित प्रश्न सब का अपना अपना महत्व है । इसलिए सबसे अधिक महत्व या सबसे अधिक विमर्श का जिसमें अवसर मिलता है, जो विकल्प मिलता है, हमने उसकी तरफ भी आपको इशारा किया । अभी भी आसन के सामने जितने विकल्प इस विषय से संबंधित थे, उसके तहत हमने जो सबसे महत्वपूर्ण था, ध्यानाकर्षण की सूचना, उसको हमने स्वीकृत किया है। जिन विषयों की तरफ आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, इस घोटाले से संबंधित, हम समझते हैं कि पूरा सदन इसपर एक मत होगा कि इसकी पूर्ण गहराई से जॉच की जाय, जो भी घोटाले में शामिल हैं, किसी रुप में बख्शे नहीं जांय । अगर गवाहों की मौत हो रही है तो उसकी भी व्यापक जॉच करायी जाय, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है । सिर्फ मसला यह है कि हम प्रश्न काल के बाद सही समय पर इस बात को करें या माननीय सदस्यों का प्रश्न बाधित करके करें ? विकल्प तो दो आपके पास हैं जिनपर विचार आपको करना है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : प्रश्न काल भी चलेगा और ध्यानाकर्षण भी चलेगा । सिर्फ आप इतना ही कह दें कि कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इसपर बहस इतने बजे से होगी । हमलोग मान जायेंगे । (व्यवधान)

अध्यक्ष : सिद्दिकी साहब, सिद्दिकी साहब । ...

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : कार्य स्थगन प्रस्ताव अगर स्वीकृत होगा तो सदन चलेगा, कार्य स्थगन प्रस्ताव अगर स्वीकृत नहीं होगा तो हमारा जो अधिकार है उस अधिकार के तहत हम अपनी बात रखेंगे ।

(व्यवधान)

टर्न-2/22.8.2017/बिपिन

अध्यक्ष : सिद्दिकी साहब, आप पुराने सदस्य हैं ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गए)

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आपलोग अपनी जगह पर जाकर अगर कोई एक आदमी बोलेंगे तो हम सुनेंगे ।

(व्यवधान)

अपनी-अपनी जगह पर जाकर बोलिए न !

(व्यवधान)

अपनी-अपनी जगह पर जाकर बोलिए न ! जब हम सुनना चाहते हैं ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-03/कृष्ण/22.08.2017

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री वित्त विभाग ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ इन्फौर्मेशन पर खड़ा हूं । प्रथम काल में हमलोगों ने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था, वह रीजेक्ट हुआ, स्वीकृत हुआ या पेंडिंग हुआ, इसकी जानकारी हमलोगों को नहीं है ।

अध्यक्ष : इसके निस्तारण के समय तक आपने इंतजार ही नहीं किया । आसन को मजबूर हो कर के 2 बजे दिन तक के लिये सदन स्थगित करना पड़ा । अब महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य और विधायी कार्य हैं । इसमें जनहित के काफी मुद्दे हैं- किसानों से संबंधित, जमीन की मापी वगैरह ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : महोदय, पैसा देकर क्या होगा जब कि पैसे की लूट हो जा रही है तो उससे ज्यादा इम्पौर्टेंट यह है ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुये वेल में आ गये)

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं भारत के संविधान से अनुच्छेद-205 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96 के अधिकाई व्यय के विवरण उपस्थापित करता हूं ।

विधायी कार्य

अध्यक्ष : विधायी कार्य । प्रभारी मंत्री ।

(व्यवधान जारी)

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक,2017

श्री रामनारायण मंडल,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक,2017" को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक,2017” को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री राम नारायणमंडल,मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री रामनारायण मंडल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

“बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक,2017 पर विचार हो । ”

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इस में माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ का संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अब मैं खंडश: लेता हूं । खंड 2 में 1 संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

‘‘खंड 2 इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 3 में 1 संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 4 में 1 संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड 4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 5 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड 5 इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 इस विधेयक का अंग बना ।''

खंड 6 में 5 संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

‘‘खंड 6 इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 6 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

‘‘खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

‘‘प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

‘‘नाम इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

“बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक,2017 स्वीकृत हो ।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक,2017 स्वीकृत हो ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक,2017 स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-4/राजेश/22.8.17

(व्यवधान जारी)

बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2017

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री रामनारायण मंडल, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"बिहार काश्तकारी(संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"बिहार काश्तकारी(संशोधन) विधेयक,2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री रामनारायण मंडल, मंत्री: महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री रामनारायण मंडल, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो ।"

अध्यक्ष: बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1)के तहत् माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायगा ।

विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष: इसमें माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपाना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2 में 5 संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ।

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

‘‘खंड- 2 इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड- 3 में 2 संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

‘‘खंड- 3 इस विधेयक का अंग बने’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड- 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

‘‘खंड- 1 इस विधेयक का अंग बने’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड- 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

‘‘प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

‘‘नाम इस विधेयक का अंग बने’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री,

श्री रामनारायण मंडल, मंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

"बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान जारी)

बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक,2017

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री रामनारायण मंडल, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

" बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक,2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

" बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक,2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी । प्रभारी मंत्री ।

श्री रामनारायण मंडल, मंत्री: महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

श्री रामनारायण मंडल,मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक,2017 पर विचार हो ।"

अध्यक्ष : बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष: इसमें माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक,2017 पर विचार हो ।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खण्डश: लेता हूं । खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड 2 इस विधेयक का अंग बने ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 3 में 5 संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 4 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड 4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 5 में 2 संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड 5 इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड 1 इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-5/सत्येन्द्र/22-8-17

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री।

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि

''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन)विधेयक, 2017 स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन)विधेयक, 2017 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन)विधेयक,2017'' स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान जारी)

बिहार पंचायत राज (संशोधन)विधेयक,2017

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री,पंचायती राज विभाग।

श्री कपिल देव कामत,मंत्री: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅं

''कि बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक,2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक,2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री कपिल देव कामत,मंत्री: मैं इसे पुर:स्थापित करता हूॅं।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ।

(व्यवधान जारी)

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री।

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक,2017 पर विचार हो।''

अध्यक्ष: बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(।)के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

(मूव नहीं किया गया)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

(मूव नहीं किया गया)

श्री ललित कुमार यादव ।

(मूव नहीं किया गया)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

श्री समीर कुमार महासेठ।

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' बिहार पंचायत राज (संशोधन)विधेयक,2017 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब मैं खंडशः लेता हूॅं। खंड-2 में 12 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री रामदेव राय।

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य,श्री समीर कुमार महासेठ ।

(मूव नहीं किया गया)

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय।

(मूव नहीं किया गया)

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय।

(मूव नहीं किया गया)

माननीय सदस्य,श्री समीर कुमार महासेठ)

(मूव नहीं किया गया)

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय।

(मूव नहीं किया गया)

माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय।

(मूव नहीं किया गया)

माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय।

(मूव नहीं किया गया)

माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय।

(मूव नहीं किया गया)

माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय।

(मूव नहीं किया गया)

माननीय सदस्य,श्री समीर कुमार महासेठ।

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

" खंड-2 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-3 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

" खंड-3 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : खंड-4 में चार संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे?

(मूव नहीं किया गया)

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय।

(मूव नहीं किया गया)

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय।

(मूव नहीं किया गया)

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय।

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

" खंड-4 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-5 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

" खंड-5 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

" खंड-1 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आप लोग जगह पर जाकर बोलिये न। आप इनलोगों को बैठाईये, हम सुनेंगे न। माननीय सिद्दिकी जी..

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय,हम तभी बैठा सकते हैं..

अध्यक्ष: आप चाहियेगा तो बैठा ही सकते हैं।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, सदन बहरी और गूंगी नहीं हो। आप देख रहे हैं कि सरकारी कार्य हो रहा है,न मंत्री न कोई ट्रेजरी बेंच का न 'हां' न 'न' बोल रहा है तब भी आप कह रहे हैं स्वीकृत,स्वीकृत।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री।

श्री कपिल देव कामत,मंत्री: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"बिहार पंचायत राज (संशोधन)विधेयक, 2017 स्वीकृत हो।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार पंचायत राज (संशोधन)विधेयक, 2017 स्वीकृत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार पंचायत राज (संशोधन)विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान जारी)

आज दिनांक 22 अगस्त, 2017 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या 15 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 23 अगस्त, 2017 को 11बजे पूर्वा0 तक के लिए स्थगित की जाती है।